

DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 173245250921051953

Date : 25-09-2021

प्रभावी : द्वितीय तिमाही 2021-2022

श्री/श्रीमती/सुश्री MUNNI DEVI W/O SURENDRA PRASAD,
मोहल्ला AI DHAIYA DHANBAD DHANBAD
DHANBAD 826001
8939330499

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका मूला गृह सं* - 02100041040000M0 वार्ड सं* 21 हुआ है, आपके स्व* निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0.00 रूप्य निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

क्रम सं*	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	
2.	जल कर	167.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		167.00



कोड -

To be signed by the Applicant

1. कर निर्धारण की सूची DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. निपमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ती कर का 50% होगा। विदापाठ दी जाती है कि वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पावे।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ती कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण पूति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
5. किसी देय पूति को निर्दिष्ट सम्पत्ती (प्रत्येक तिमाही) के अन्तर् या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गत पाए जाने पर निपमावली कंडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित मास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संप्रदित इस सम्पत्ती कर इन इमस्टो/टांचों को कोई कानूनी हेसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मास्तिको / दस्तावेज को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके मने होसिग मने का अखिरी अंक 56/7/8 है तो यह विधि संरचनाओं की केपी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.